

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : ९१ / प्र०३०-भवन / जोन-१ / २००९-१० दिनांक १७ / १० / २०१२

विनियमितीकरण/अनुमति-पत्र

यह विनियमितीकरण/अनुमति उ०प्र०० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा ३२ एवं १४ न १५ के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के रामबद्ध ने जिस पर विनियमितीकरण/प्रस्तावित भाग के भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार या किसी स्थानीय नियम या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा एवं के नालिकाना अधिकारों पर किसी तो कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

सचिव, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन स्थल नजूल फी होल्ड मूख्यमण्ड संख्या-B(b) बैली मुख्याखारजा बंगला नं०-२५/२९ स्टैनली रोड इलाहाबाद जोन संख्या (१) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण/प्रस्तावित भाग के निर्माण की अनुमति निर्मानकृत प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

१. उ०प्र०० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ए (१) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उपर्योग/अधिगम किया जायेगा। गवन निर्माण एवं विकास उपर्योग २००८ मे उपर्योग संख्या-२.१.८ एवं ३.१.८ मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रगाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
२. यह स्वीकृति अनान्दिम (Provisional) रूपीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C ली शर्त पूर्ण करने के पश्चात, निर्माण किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने ले बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
३. पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पूर्व विद्युत शुरका सम्बन्धी प्रगाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
४. स्थल पर ४X३ फिट का एक बैरें लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विद्रह अंदित किया जायेगा।
५. स्थानिक सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र रूपतः निररत समझा जायेगा।
६. स्थल का अधिगम/उपयोग रथीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही किया जायेगा।
७. स्थल पर ०७ वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को उच्च-गति रखने का दायित्व आवेदक/रास्ता का होगा।
८. स्थल पर सोलर याटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना शावरणक रूप से करनी होगी।
९. स्थल पर रेनवाटर हावेरिटंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर ८०-गर्भ जल विभाग द्वा अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
१०. असमिय भाग जो मानचित्र पर पौले रंग से दर्शित है को दिये गये शापथ पत्र दिनांक २६.०७.२०१२ के अनुसार सागरबद्ध रूप से ध्वस्त करना होगा।
११. स्थल पर छूटा-छूट शम्बन्धी ढीभारी का इलाज निषिद्ध होगा।
१२. रोड वाइडनिंग एरिया मे कोई भी निर्माण अनुमत्य नहीं होगा, अपेक्षु रोड व हड्डनिंग हेतु छोड़ी गयी शूमि पर Existing निर्माण को ध्वस्त करना होगा।
१३. गगर आयुक्त, नगर नियम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र दिनांक १०.०४.२०१२ मे अंकित प्रतिबन्धों जो गुण्यतः निर्माण है अक्षरतः गालन करना होगा:-
- A- भवन निर्माण के दौरान नगर नियम की अप्रस्थापना सुविचारों की जरी न हो, अन्यथा इसका नवागेनाण/मरम्भन भवन स्वामी को बराना होगा।

पुरात क्रमांक ११३५४०७२९९

Continued

Mr. Mahendra
Chauhan
१०/१०/१२

